

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

10-10

किरम मु०

रज्जु दिनांक

निर्णय दिनांक

05/19

धारा 91

28.01.19

12.03.19

उनवान सरकार बनाम रामस्वरूप उर्फ गिलाराम पुत्र नागरराम जाति गुर्जर नि०कुठानिया तह० बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। मागला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्बत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै०मु० नाला में ख०न० 234 रकबा 0.50 है० किरम गै०मु० नाला में 0.05 है० भूमि पर रामस्वरूप उर्फ गिलाराम पुत्र नागरराम जाति गुर्जर नि०कुठानिया ने अवैध सरसो की फसल कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये सरसो की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.35 की 50 गुणा जुर्माना राशि 18/- रु बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वारते जमा कायमी/वेदखली/वसुली/कुर्क शुद्धा फसल को निलामी कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 12.03.2019 खुले न्यायालय सुनाया गया।

२

उप तहसीलदार

सिंधाना झुन्झुनु

२१० १८

२१० १८